मा. उच्च न्यायालय के आदेश/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या- 1427 /नौ-7-2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपजिलाधिकारी (द्वारा संबंधित जिलाधिकारी), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वारा संबंधित जिलाधिकारी)।

नगर विकास विभाग, अनुभाग-7 लखनऊ दिनाँक 11 सितम्बर, 2023

विषय: एक वर्ष की अवधि के उपरांत जन्म एवं मृत्यु के विलंबित पंजीकरण के प्रकरण में उप जिला मजिस्ट्रेट (SDM) द्वारा RCCMS पोर्टल (vaad.nic.in) से आदेश निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-57361/14, जेबा हसीब व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनाँक 21.11.2014 को पारित निर्णय एवं आदेश निम्नवत हैं :

(i) Delayed registration of birth or death be made only on an order of the prescribed authority and Strictly in accordance with the provisions of section 13 of the Act and Rule 9 or the rules (U.P Registration of Births and Deaths Rules-2002).

(ii) The prescribed authority for the purposes of sub section 3 of Section 13 of the Act read with Rule 9 (3) of the Rules is the Sub divisional Magistrate of the area concerned and only he can pass an order or delayed registration of birth or death which has not been registered within one year of its occurrence. He can pass order for registration of birth or death only after verifying the correctness of the birth or death and on payment of the prescribed fee (to the Registrar).

2. मा. न्यायालय के उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश संख्या-21M.S/9-7-15-16(W)/2015, दिनांक 02.02.2015 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3. शासनादेश संख्या 1291/पांच-7-2019, दिनांक 01/01/2020 में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में सम्पूर्ण प्रदेश में जन्म- मृत्यु पंजीकरण का कार्य दिनांक 01/02/2020 से भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय (गृह मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा विकसित एवं संचालित CRS पोर्टल (crsorgi.gov. in) पर

ही किया जाना है। किसी अन्य पोर्टल अथवा मुद्रित प्रारूप पर जारी जन्म/ मृत्यु प्रमाणपत्र मान्य नहीं हैं।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया एक वर्ष की अवधि के उपरांत जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं के विलंबित पंजीकरण के प्रकरणों में जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 (यथा संशोधित 2023) की धारा 13 (3) एवं उत्तर प्रदेश जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2002 के पैरा 9 (3) में विहित प्राविधानों के अधीन निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:

क. उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत जारी किए जाने वाले आदेश राज्य सरकार के RCCMS पोर्टल (vaad.nic.in) से निर्गत किया जाये। इस कार्य में कोई शिथिलता या लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

ख. रजिस्ट्रार द्वारा उपर्युक्तानुसार RCCMS पोर्टल से निर्गत आदेश CRS पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत ही जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जाए। अन्यथा की स्थिति में जन्म/ मृत्यु प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने की दशा में संबंधित रजिस्ट्रार उत्तरदायी होंगे।

<u>संलग्न यथोक्त।</u>

भवदीय,
Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 08-09-2023 11:22:44
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनाँक: तदैव।</u>
<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज , उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त) शासनादेश के क्रम में प्रभावी अनुश्रवण हेतु(।
4. निदेशक एवं संयुक्त महारजिस्ट्रार, जनगणना कार्य निदेशालय) गृह मंत्रालय , भारत सरकार(, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय,उ .प्र .लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, गोमती नगर विस्तार, उ.प्र., लखनऊ।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं , कैसरबाग , लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

पर ही किया जाना है। किसी अन्य पोर्टल अथवा मुद्रित प्रारूप पर जारी जन्म/ मृत्यु प्रमाणपत्र मान्य नहीं हैं।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया एक वर्ष की अवधि के उपरांत जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं के विलंबित पंजीकरण के प्रकरणों में जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 (यथा संशोधित 2023) की धारा 13 (3) एवं उत्तर प्रदेश जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2002 के पैरा 9 (3) में विहित प्राविधानों के अधीन निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

क- उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत जारी किए जाने वाले आदेश राज्य सरकार के RCCMS पोर्टल (vaad.nic.in) से निर्गत किया जाये। इस कार्य में कोई शिथिलता या लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

ख- रजिस्ट्रार द्वारा उपर्युक्तानुसार RCCMS पोर्टल से निर्गत आदेश CRS पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत ही जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जाए। अन्यथा की स्थिति में जन्म/ मृत्यु प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने की दशा में संबंधित रजिस्ट्रार उत्तरदायी होंगे।

संलग्न यथोक्त।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनाँक: तदैव।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज , उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त) शासनादेश के क्रम में प्रभावी अनुश्रवण हेतु(।
4. निदेशक एवं संयुक्त महारजिस्ट्रार, जनगणना कार्य निदेशालय) गृह मंत्रालय , भारत सरकार(, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय,उ .प्र .लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, गोमती नगर विस्तार, उ.प्र., लखनऊ।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं , कैसरबाग , लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by अमृत अभिजात
Date: 11-09-2023 19:47:29
Reason: Approved

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

न्यायालय, उप जिला मजिस्ट्रेट.., जनपद ....

विलंबित जन्म/ मृत्यु पंजीकरण वाद संख्या-.............

<u>आदेश</u>

1) आवेदनकर्ता श्री /श्रीमती/ सुश्री .... द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 13(3), सपठित उत्तर प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमावली-2002 की धारा 9(3) के अंतर्गत जन्म/मृत्यु के विलंबित पंजीकरण का आवेदन किया गया है। आवेदक **[आवेदक का नाम]** द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गए -

i) जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में 10 वीं / हाई स्कूल का अंक पत्र / प्रमाणपत्र अथवा पासपोर्ट अथवा अन्य कोई सरकारी अभिलेख इत्यादि ।

ii) जन्म / मृत्यु की घटना को सिद्ध करने वाले अन्य अभिलेख (यथा निजी चिकित्सालय द्वारा जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, टीकाकरण कार्ड , श्मशान/कब्रिस्तान की पर्ची इत्यादि)

iii) आधार कार्ड

iv) ....

v) ....

vi) साक्ष्य/ गवाहों के बयान

vii) आवेदक द्वारा सादे कागज पर प्रस्तुत घोषणा पत्र कि ***'यह जन्म/ मृत्यु की घटना सम्पूर्ण भारतवर्ष में पूर्व में कहीं भी पंजीकृत नहीं कराई गई है।'***

viii) रजिस्ट्रार **[रजिस्ट्रेशन यूनिट का नाम]** द्वारा जारी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र

ix) ....

.................................(*मजिस्ट्रेट की टिप्पणी, यथा 'अधोहस्ताक्षरी द्वारा आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा साक्षियों के शपथ पत्रों एवं जांच आख्या का अवलोकन किया गया। आवेदक के जन्म / मृत्यु की घटना की शुद्धता आदि के बारे में शपथकर्ताओं से उनके संबंधित शपथपत्र में उल्लिखित तथ्यों की सत्यता का पता लगाया गया ......'*)

2) आवेदन ....**(स्वीकृत/अस्वीकृत)**

3) रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) .... को आदेशित किया जाता है कि, श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/ पुत्री/ पत्नी .... जिनका **जन्म/** मृत्यु , दिनांक **dd /mm/yyyy** को हुआ था, की प्रविष्टि उपयुक्त **जन्म/** मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करते हुए आवदेनकर्ता से नियमानुसार विलम्ब शुल्क प्राप्त कर तद्नुसार प्रमाणपत्र जारी करें।

दिनांक:

स्थान :

मोहर सहित हस्ताक्षर

उप जिला मजिस्ट्रेट (SDM)